

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2019/आषाढ़ 28, 1941
No. 254]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2019/ASHADHA 28, 1941

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2019

फा. सं. ए-36024/1/2006-स्था.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 के 2) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा दिनांक 04.12.2017 को सम्पन्न राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 37वीं बैठक में, सदस्य सचिव को रा.रा.क्षे.यो.बो. अधिनियम, 1985 की धारा 29(2) के अंतर्गत क्षेत्रीय योजना के उल्लंघन से निपटने के लिए नोटिस जारी करने और आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है।

शक्तियों का यह प्रत्यायोजन दिनांक 03.01.2018 जो कि बोर्ड की 37वीं बैठक का कार्यवृत्त जारी किये जाने की तारीख है, से प्रभावी माना जाएगा।

अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./137/19]

**NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th May, 2019

F.No. A-36024/1/2006-Estt.—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), National Capital Region Planning Board in its 37th Meeting held on 04.12.2017 hereby delegate the power to Member Secretary of the Board for issuing Notice and for taking necessary

action under section 29(2) of National Capital Region Planning Board Act, 1985 to deal with violation of Regional Plan.

This delegation of power shall be deemed to have come into force with effect from the date of issue of the Minutes of the 37th meeting of the National Capital Region Planning Board which is 03.01.2018.

ARCHANA AGRAWAL, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./137/19]